

कार्यालय कलेक्टर, जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्रमांक / 14367 / भू-बंटन / 2015

जॉजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2015

// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्र.49) बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक का 2 लेन चौड़ीकरण पेव्डड शोल्डर सहित किये जाने हेतु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ीकरण में प्रभावित राजस्व/वन भूमि पर आदिम जाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में वांछित प्रमाण पत्र के संबंध में वन एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित राजस्व वन भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण से प्रभावित राजस्व वन भूमि का विवरण			प्रभावित वन अधिकारधारक का नाम	प्रभावित रकबा
			खसरा नं.	वन का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे)		
1	2	3	4		5	6	
1	पकरिया	अकलतरा	952/9	छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल	1.130	निरंक	निरंक
2	पुटपुरा	जॉजगीर	1079/1	छोटे झाड़ के जंगल/घास	0.208	निरंक	निरंक
3	हथनेवरा	चाम्पा	1350/1	बड़े झाड़ के जंगल	0.412	निरंक	निरंक
4	बगबुड़वा	सक्ती	362/1	बड़े झाड़ के जंगल	0.157	निरंक	निरंक
			424/1	बड़े झाड़ के जंगल	0.056	निरंक	निरंक
			424/1	बड़े झाड़ के जंगल	0.192	निरंक	निरंक
5	रगजा	सक्ती	169/2	बड़े झाड़ के जंगल	0.072	निरंक	निरंक
			387	छोटे झाड़ के जंगल	0.040	निरंक	निरंक
			388/2	छोटे झाड़ के जंगल	0.036	निरंक	निरंक
			389	छोटे झाड़ के जंगल	0.440	निरंक	निरंक
			450	छोटे झाड़ के जंगल	0.040	निरंक	निरंक
	योग		11		2.783 हे		

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. आवेदित राजस्व वन भूमि क्षेत्र में वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी./पी.ए.सी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ई) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ-नं. -11-9/98-एफ-सी(पी.टी.) दिनांक 05 फरवरी 2013 के अनुसार विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.पी.जी./पी.ए.सी.) के प्रभावित वन क्षेत्र के अलावा अन्य वन क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।
3. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

21/10
कलेक्टर

जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्रमांक / 14368 / भू-बंटन / 2015

जॉजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2015

// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्र.49) बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक का 2 लेन चौड़ीकरण पेव्हड शोल्डर सहित किये जाने हेतु उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाले ग्राम पकरिया, पुटपुरा, हथनेवरा, बगबुड़वा, एवं रगजा, के निम्नांकित अनुसूची 01 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अनुसूची क्र. - 01

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक रकबा	मद
1	2	3	4	5
1	पकरिया	952/9	1.130	छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल
2	पुटपुरा	1079/1	0.208	छोटे झाड़ के जंगल/घास
3	हथनेवरा	1350/1	0.412	बड़े झाड़ के जंगल
4	बगबुड़वा	362/1	0.157	बड़े झाड़ के जंगल
		424/1	0.056	बड़े झाड़ के जंगल
		424/1	0.192	बड़े झाड़ के जंगल
5	रगजा	169/2	0.072	बड़े झाड़ के जंगल
		387	0.040	छोटे झाड़ के जंगल
		388/1	0.036	छोटे झाड़ के जंगल
		389	0.440	छोटे झाड़ के जंगल
		450	0.040	छोटे झाड़ के जंगल
	योग	11	2.783 हेक्टे.	

उपरोक्त अनुसूची - 1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वन भूमि में से कालम 04 में अंकित रकबा को लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 (नया रा.रा. मार्ग-49) निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

Mly
3/10
कलेक्टर

जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)


क्रमांक / 14370 / भू-बंटन / 2015

जॉजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2015

// प्रमाण पत्र //

मुख्य अभियंता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 200 (नया रा.रा.क्र.49) के बिलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा तक 2-लेन चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर के 100-100 मीटर के क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व के स्थल का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि जॉजगीर-चाम्पा जिले के तहसील अकलतरा के ग्राम पकरिया, तहसील जॉजगीर के ग्राम पुटपुरा तहसील चाम्पा के ग्राम हथनेवरा, तहसील सक्ती के ग्राम बगबुड़वा, एवं ग्राम रगजा से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.200 (नया रा.रा. मार्ग क्र 49) पर ग्राम पकरिया, पुटपुरा, हथनेवरा, बगबुड़वा एवं रगजा मार्ग के मध्य से दोनों ओर 100-100 मीटर की दूरी पर कोई भी ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व के स्थल स्थित नहीं है।


कलेक्टर


जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा क्रमांक / 14371 / भू-बंटन / 2015

जॉजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।


कलेक्टर


जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृष्ठा क्रमांक / 14369 / भू-बंटन / 2015

जॉजगीर, दिनांक 03 / 10 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.मंडल बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी जॉजगीर-चाम्पा को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता रा.रा. संभाग सह एन.एच.डी.पी.-पी.आई.यू. लो.नि.वि. बिलासपुर को सूचनार्थ।


कलेक्टर
जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)